रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112026-277653
CG-DL-E-04112026-277653

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5754] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948
No. 5754] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2026

का.आ. 5986(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ओडिशा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग-26 परनबरंगपुर ज़िला में नबरंगपुर शहर के लिए बाईपास रोड के निर्माण के लिए (At / Po नबरंगपुर)किमी 294.088 से किमी 303.212 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सुब कलेक्टर को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

ओडिशा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग-26 पर नबरंगपुर ज़िला में नबरंगपुर शहर के लिए बाईपास रोड किमी 294.088 से किमी 303.212तक के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			**जिले का नाम: नबरंगपुर**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: नबरंगपुर					
गांव का नाम: नवरंगपुर					
1	5343	निजी	एग्रीकल्चर	0.0162 (हेक्टेयर)	0.0162
तालुक का नाम: नंदाहांड़ि					
गांव का नाम: पडालगुडा					
2	2068	निजी	एग्रीकल्चर	0.0081 (हेक्टेयर)	0.0081
3	2099	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
4	2103	निजी	एग्रीकल्चर	0.0486 (हेक्टेयर)	0.0486
5	492	निजी	एग्रीकल्चर	0.0243 (हेक्टेयर)	0.0243
6	494	निजी	एग्रीकल्चर	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
7	691/2404/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0243 (हेक्टेयर)	0.0243
8	691/2405/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0243 (हेक्टेयर)	0.0243
गांव का नाम: नुआगड़ा					
9	726	निजी	एग्रीकल्चर	0.1416 (हेक्टेयर)	0.1416
10	756	निजी	एग्रीकल्चर	0.0405 (हेक्टेयर)	0.0405
गांव का नाम: गड़बागुड़ा					
11	24	निजी	एग्रीकल्चर	0.0607 (हेक्टेयर)	0.0607
12	410	निजी	एग्रीकल्चर	0.2104 (हेक्टेयर)	0.2104
13	423/594	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202

14	461/7	निजी	रेशिडेंसिआल	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
15	47	निजी	एग्रीकल्चर	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
				Total	**0.6676**

[फा. सं. 12037/49/2015/ORS/P-5/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2026

S.O. 5986(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH26 in the stretch of land for Construction of Bypass Road for Nabarangpur town (At / Po Nabarangpur) from km 294.088 to Km 303.212 in the district of NABARANGPUR in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub- Collector in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH26 in the stretch of land for Construction of Bypass Road for Nabarangpur town ((At / Po Nabarangpur) from Km 294.088 to Km 303.212 in the district of NABARANGPUR in the state of ODISHA

State: ODISHA			**District: NABARANGPUR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Nabarangpur					
Village: Nabarangpur					
1	5343	Private	Agriculture	0.0162 (Hectare)	0.0162
Taluk: Nandahandi					
Village: Padalguda					
2	2068	Private	Agriculture	0.0081 (Hectare)	0.0081
3	2099	Private	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
4	2103	Private	Agriculture	0.0486 (Hectare)	0.0486
5	492	Private	Agriculture	0.0243 (Hectare)	0.0243
6	494	Private	Agriculture	0.0121 (Hectare)	0.0121
7	691/2404/1	Private	Agriculture	0.0243 (Hectare)	0.0243
8	691/2405/1	Private	Agriculture	0.0243 (Hectare)	0.0243
Village: Nuagada					
9	726	Private	Agriculture	0.1416 (Hectare)	0.1416
10	756	Private	Agriculture	0.0405 (Hectare)	0.0405
Village: Gadbaguda					
11	24	Private	Agriculture	0.0607 (Hectare)	0.0607
12	410	Private	Agriculture	0.2104 (Hectare)	0.2104

13	423/594	Private	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
14	461/7	Private	Residential	0.004 (Hectare)	0.004
15	47	Private	Agriculture	0.0121 (Hectare)	0.0121
				Total	**0.6676**

[F. No. 12037/49/2015/ORS/P-5/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.11.04 15:53:46 +05'30'